

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या-15/आरोप (सीतामढ़ी) 02-153/2026-

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

समाहर्ता, सीतामढ़ी के पत्रांक-3428/रा0, दिनांक-18.07.2026 द्वारा श्री चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध सहयोग पोर्टल त्वरित निष्पादन प्रणाली पर दायर परिवाद (पंजीयन सं0-REF 450804) के जाँच के क्रम दाखिल खारिज वाद सं0-839/2011-12 संस्थित कर आवेदित रकवा 04 डिसमील के स्थान पर रकवा-21 डिसमील आवेदक के नाम नामान्तरण की स्वीकृति तत्कालीन राजस्व कर्मचारी श्री महादेव शरण सिंह की अनुशंसा के आधार पर प्रदान करने के संबंध में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1893 दिनांक-14.06.2011 की कंडिका-16 में उल्लेख है कि "बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के अंतर्गत 04 वर्षों की गणना, घटना की तिथि से होगी, न कि घटना की जानकारी की तिथि से। अतः कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है वह अगर कार्रवाई संस्थित करने की तिथि से 04 वर्ष पहले का है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित की श्रेणी में आयेगा"। श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप 04 वर्ष के पहले का है एवं आरोप कालबाधित श्रेणी में आता है।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप कालबाधित श्रेणी में आने तथा उक्त आरोप पत्र के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप प्रकरण को "संचिकास्त" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त(31.12.2024) से संबंधित आरोप प्रकरण को "संचिकास्त" किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-15/आरोप (सीतामढ़ी) 02-153/2026-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

गेल/
नधित

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, सीतामढ़ी/श्री चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

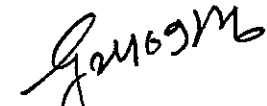
ह0/-

(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-15/आरोप (सीतामढ़ी) 02-153/2026-.....1616.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-24/09/26

प्रतिलिपि :-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।